बस्टर्ड संरक्षण का अगला चरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)** ने **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustard- GIB)** **तथा** **लेसर फ्लोरिकन** **के संरक्षण** के अगले चरण के लिये 56 करोड़ रुपए मंज़ूर किये हैं।

मुख्य बिंदु:

- इस योजना में आवास विकास, **स्व-स्थाने संरक्षण**, संरक्षण प्रजनन केंद्र का निर्माण कार्य पूरा करना, बंदी-प्रजनित पक्षियों को मुक्त करना तथा अन्य गतिविधियाँ शामिल हैं।
- **राष्ट्रीय CAMPA (प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण)** ने **भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India's- WII)** के प्रस्ताव की सिफारिश शासी निकाय को की थी।
- इस प्रजाति को पुनर्जीवित करने की योजना सर्वप्रथम वर्ष 2013 में **राष्ट्रीय बस्टर्ड रिकवरी योजना** के तहत शुरू की गई थी, जिसने बाद में **2016 में बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट** को जन्म दिया।
- बाद में जुलाई 2018 में **MoEFCC, राजस्थान वन विभाग और WII के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।**
- तीनों पक्षों द्वारा संचालित परियोजना के हिस्से के रूप में **दो GIB संरक्षण प्रजनन केंद्र और एक लेसर फ्लोरिकन केंद्र क्रमशः राजस्थान के** सैम**, रामदेवरा तथा सोरसन में** कार्य कर रहे हैं।
- सैम और रामदेवरा की टीम ने इस प्रजाति की मूल आबादी (Founder Population) के पुनः वन्यीकरण हेतु वनों से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड/गोडावण के **अंडों को एकत्र करके प्रजनन केंद्र में** उनका **कृत्रिम रूप से ऊष्मायन एवं उद्भवन (Incubated and Hatched) कर** संवर्द्धन किया गया
- वर्तमान में **वनों में लगभग 140 GIB और 1,000 से भी कम लेसर फ्लोरिकन** शेष हैं।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

//

- **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Ardeotis nigriceps) राजस्थान का राजकीय पक्षी है** और भारत का सबसे **गंभीर रूप से संकटापन्न पक्षी** माना जाता है।
- यह घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है, जो चरागाह पारिस्थितिकी का प्रतिनिधित्व करती है।
- ये अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। **महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश** में यह प्रजाति कम संख्या में पाई जाती है।
- **सुरक्षा की स्थिति:**
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट: **गंभीर रूप से संकटग्रस्त**
- वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): **परिशिष्ट-1**
- प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय (CMS): **परिशिष्ट-I**
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: **अनुसूची-1**

लेसर फ्लोरिकन (Sypheotides indicus)

- यह **भारत में पाई जाने वाली तीन स्थानिक बस्टर्ड प्रजातियों** में से एक है, **अन्य दो प्रजातियाँ बंगाल फ्लोरिकन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं।**
- स्थानीय भाषा में इस पक्षी को **'खरमोर'** के नाम से जाना जाता है, जो मोर के मूल शब्द 'मोर' से निकला है।
- यह लुप्तप्राय पक्षी **राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात** में पाया जाता है।
- **संरक्षण की स्थिति:**
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट:** संकटग्रस्त
- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची-1
- **वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES):** परिशिष्ट II

https://www.youtube.com/watch?v=ggavPiG5ccQ

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/next-phase-of-bustard-conservation